न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 08/2024 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–1954)

राजस्थान सरकार जरिये हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर –प्रार्थी

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र सुरेश कुमार (विक्रेता व मालिक) मैसर्स लक्की मिष्ठान भण्डार, पतरोड़ा, बीकानेर रोड़, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़। –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(II), 51 FSSA Act 2006

दिनांकः– 05/12/2024

निर्णय

यह इस्तगासा **श्री हंसराज गोदारा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(II) व धारा 51, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हंसराज गोदारा** दिनांक 28.08.2023 को समय **06:00 पीएम बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **लक्की मिष्ठान भण्डार, बीकानेर रोड, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़** पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **प्रवीण कुमार पुत्र सुरेश कुमार (विक्रेता एवं मालिक) को** अपना परिचय देकर संस्थान में रखे **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** लगभग 07 किलो रखा हुआ था, के बारे में जानकारी चाहीं। अप्रार्थी **प्रवीण कुमार पुत्र सुरेश कुमार** ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा संस्थान में रखे **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** 07 किलो को आमजन में बेचान वास्ते बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** मे से 02 किलोग्राम विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** का नगद भुगतान **600/–** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता राजू राम तथा गवाहान के हस्ताक्षर व स्वयं के हस्ताक्षर है, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **प्रवीण कुमार पुत्र सुरेश कुमार (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **प्रवीण कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार(विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित) 2 किलोग्राम** को बराबर भागों में बांटकर 04 बोतलों में भरकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1954** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1954** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे प्रवीण कुमार एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुंना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं **मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर** केपत्र क्रमांक **FSSA/2023/1461-62** दिनांक 12.10.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** का नमूना **Sub-standard Food** होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 09.01.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं **मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर** ने **आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र** क्रमांक एफएसएसए/2024/26–27 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **प्रवीण कुमार पुत्र सुरेश कुमार (विक्रेता व मालिक) मैसर्स लक्की मिष्ठान भण्डार, पतरोडा बीकानेर रोड़, अनूपगढ़** ने खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित), Sub-standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री सुशील गोदारा उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया है कि बिन्दु संख्या 01 रिकॉर्ड का तथ्य है। बिन्दु संख्या 02 रिकार्ड का तथ्य है जो कानुनी विषय है। बिन्दु संख्या 3 में दर्ज तथ्य परिवादी की ओर से साबित किये जाने आवश्यक है। बिन्दु संख्या 04 में अंकित तथ्यों को साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 06 जिस प्रकार से अंकित किया गया है अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 07 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 8 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 09 कानूनी विषयान्तर्गत आती है। इस कारण से यह परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। बिन्दु सं. 10 कानूनी विषयान्तर्गत होने से परिवादी द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर साबित की जानी है। बिन्दु सं. 11 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 12 में प्रार्थी का नाम पता स्वीकार है। अन्य तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उक्त एफएसएल रिपोर्ट में केवल मात्र मावा में ही चिकनाई की मात्रा ही कम पाई गई थी अन्य कोई मिलावट नहीं पायी गयी है चुंकि मावा में मिठाई बनाने पर चिकनाई उपर आ जाती है। इसकी दूसरी परत बन जाती है। जब दूध काढ़ा जाता है मावे के लिए तब चिकनाई की मात्रा मलाई के साथ होती है तथा मलाई हटा कर यदि सैम्पल लिया जाता है। तो उसके चिकनाई की मात्रा कम हो जाती है। अतः जवाब परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.1368/Act/2023/1368 दिनांक** 13.09.2023 में खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमुना के–**1954 Sub-Standard Food** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोडा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चीनी से निर्मित)** हेतु **प्रवीण कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार खाद्यकारोबारकर्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स लक्की मिष्ठान भण्डार, पतरोड़ा, बीकानेर रोड, अनूपगढ़, जिला**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अनूपगढ़ को रु 2,00,000 /– रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05/12/24 को सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner